न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

उपस्थितः– हिमानी गौतम (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड०ः– यू०पी० 4850

मुकदमा सं०ः– 645/1996

अपराध सं०ः– 253/1995

सरकार बनाम दिनेश आदि।

सी०एन०आर०नं०ः– UPUN120000331996

धाराः– 379, 427 भा०दं०सं०।

थानाः– पुरवा, जिलाः– उन्नाव।

सरकार

बनाम

1. दिनेश पुत्र शंकर (मृतक)
2. परमेश पुत्र शंकर
3. उन्नर पुत्र शंकर (मृतक)
4. रामबाबू पुत्र श्यामलाल

समस्त निवासीगण पश्चिम टोला, अन्तर्गत थाना पुरवा जिला उन्नाव।

..... अभियुक्तगण पक्ष।

अपराध सं०ः– 253/1995

धाराः– 379, 427 भा०दं०सं०।

थानाः– पुरवा, जिलाः– उन्नाव

निर्णय

पुलिस थाना पुरवा जनपद उन्नाव, द्वारा अभियुक्तगण दिनेश, परमेश, उन्नर तथा रामबाबू के विरूद्ध अपराध सं०ः– 253/1995, अन्तर्गत धारा– 379, 427 भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "दिनांक 09/10/1995 को समय 09.30 PM बजे पुरवा विद्युत उपग्रह से ग्यारह हजार बेहटा धन्नीपुर लाइन के फ्यूज जल गये और विद्युत आपूर्ति बंद हो गयी, सुबह लाइन की पेट्रोलिंग करने पर पाया गया कि ग्राम सिद्धाखेड़ा के जूनियर हाईस्कूल कते पास आठ सौ मीटर ए०सी०एस०आर० वीजल तार अज्ञात चोरों द्वारा काट लिया गया तथा उसे उठा ले जाया गया तथा राज्य विद्युत परिषद को क्षति कारित की। जिसके आधार पर यह मुकदमा थाना स्थानीय पर पंजीकृत हुआ।"

उपरोक्त के आधार पर सम्बन्धित थाना पुरवा जिला उन्नाव में दिनांक 12/10/1995 को धारा 379, 427 भा०दं०सं० के अन्तर्गत मामला दर्ज हुआ, जिसका इन्द्राज जी०डी० में किया गया। मामले की विवचेना की गई। मौके का नक्शानजरी तैयार किया। बाद विवेचना अभियुक्तगण दिनेश, परमेश, उन्नर तथा रामबाबू के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विवेचक द्वारा धारा 379, 427 भा०दं०सं० में विचारण हेतु आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आरोपपत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुये न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय हाजिर आये, उनके द्वारा नियामानुसार अपनी–अपनी जमानतें करवायीं गयीं। अभियुक्तगण को नकलें दी गई। दौरान विचारण अभियुक्त दिनेश की मृत्यु हो गयी, जिस कारण अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

अभियुक्तगण परमेश, मुन्नर तथा रामबाबू के विरूद्ध दिनांक 20/02/1998 को आरोप विरचित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया एवं विचारण की माँग किया। दौरान विचारण अभियुक्त उन्नर की मृत्यु हो गयी, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त उन्नर के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदत्त किये जाने के बाद भी किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। तत्पश्चात दिनांक 13/08/2025 को अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शानजरी तथा आरोप पत्र पत्रावली पर दाखिल की गई है।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया है।

मैने अभियुक्तगण के विद्धान अधिवक्ता व विद्धान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

निष्कर्ष

इस प्रकरण में न्यायालय को मुख्य रूप से इस बात को विचारित करना है कि क्या प्रस्तुत दाण्डिक प्रकरण मे दिनांक 09/10/1995 को समय अदम तहरीर बहद स्थान ग्राम निद्धाखेड़ा, अन्तर्गत थाना पुरवा जिला उन्नाव में उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा ग्राम निद्धाखेड़ा के जूनियर हाईस्कूल के पास 800 मीटर ए०सी०एस०आर० वीजल तार को काटकर चोरी की तथा 6 नंबर पिन इंसुलेटर 3 पिन व एक पी०सी०सी० पोल क्षतिग्रस्त करके राज्य विद्युत परिषद को आर्थिक क्षति कारित की।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से 106 के अन्तर्गत किसी भी प्रकरण को अपने साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध करने का सम्पूर्ण भार/कठोर उत्तरदायित्व अभियोजन के कन्धे पर होता है। अभियुक्त की किसी भी कमजोरी का लाभ अभियोजन को नही दिया जा सकता है। हस्तगत वाद में आरोप पत्र प्रस्तुत कर अन्तर्गत धारा– 379, 427 भा०दं०सं० में दिनांक 20/02/1998 को आरोप विरचित किया गया और विचारण प्रारम्भ किया गया। जिसके पश्चात साक्ष्य हेतु अभियोजन को कई अवसर प्रदान किये गये, जिसके पश्चात भी अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने हेतु किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया तब न्यायालय द्वारा अर्सा करीब 28 वर्ष बीत जाने के उपरांत दिनांक 13/08/2025 को अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा पत्रावली को बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० नियत कर अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 22/12/2025 को अंकित किया गया। जिसके उपरांत अभियोजन की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० दिनांकित 16/03/2026 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके विरूद्ध अभियुक्तगण की ओर से अपनी आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्र न्याय की मंशा के विरूद्ध होने तथा अभियुक्तगण को हैरान व परेशान करने की नियत से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने तथा उपरोक्त प्रार्थनापत्र के द्वारा पत्रावली को मात्र लंबित रखने के आशय से प्रस्तुत किये जाने के कारण, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र को न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08/05/2026 के माध्यम से अस्वीकार/खारिज किया गया तथा पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत की गयी।

इस पत्रावली में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 379, 427 भा०दं०सं० का आरोप है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयज विधियों में यह तथ्य प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियोजन किसी अपराध में प्रावधानित दण्ड के सापेक्ष अनवरत काल तक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु लम्बित नही रखा जा सकता है। न्यायालय को ऐसे मामलों को लम्बित रखते हुये अभियोजन को पुरूस्कृत नहीं करना चाहिये, बल्कि उभयपक्ष के समान हित के सिद्वान्त के आधार पर, अभियोजन की उदासीनता एवं निष्क्रियता के कारण, दाण्डिक वाद को अनन्तकाल तक चलाये जाने के बजाये मामले में अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुये अग्रेतर कार्यवाही कर देनी चाहिये।**

अभियोजन का कठोर दायित्व है कि वह अपने मामले में त्वरिततम साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने कथानक को साबित करें, किन्तु इस प्रकरण में अभियोजन के द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक पूर्ण अवसर मिलने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करना वस्तुतः अभियोजन की अर्न्तनिहित, शिथिलता एवं निष्क्रियता के साथ–साथ इस तथ्य का भी द्योतक है कि अभियोजन कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत न करके मात्र अभियुक्त को विचारण में परेशान करना चाहता है।

अभियोजन के द्वारा अपने कथानक को साबित करने हेतु कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था (भागीरथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए०सी०सी० 1976) में यह विनिश्चियन किया गया है कि अभियोजन को अपने सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से अपने कथानक से साबित करना होगा, उसे अभियुक्त के केस की कमजोरी का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था तेजपाल बनाम उ०प्र० राज्य क्रिमिनल अपील सं० 160/2011, निर्णय दिनांकित 08/02/2021 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चियित विधि व्यवस्था चुन्थू राम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2020) 10 एस०सी०सी० 733 एवं रामबिहारी यादव बनाम बिहार राज्य ए०टी०आर० 1998 एस०सी० 1850 का अनुसरण करते हुए यह विनिश्चियित किया गया है कि यह अभियोजन का कठोर दायित्व है कि वह अपने प्रकरण/केस की समस्त परिस्थितियों को साक्ष्य से साबित करें। अभियोजन द्वारा इसमें विफल रहने पर दोषसिद्ध का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

अभियोजन के द्वारा अपने कथानक को साबित करने हेतु कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण परमेश तथा रामबाबू दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण परमेश तथा रामबाबू को धारा 379, 427 भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके बन्धपत्र निरस्त एवं प्रतिभूगण को उनके उत्तरदायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में दाखिल जमानतें अपील अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांकः– 27/05/2026

(हिमानी गौतम)
आई०डी० यू०पी० 4850
न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांकः– 27/05/2026

(हिमानी गौतम)
आई०डी० यू०पी० 4850
न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।